

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय को पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2009—माघ 10, शक 1930

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्र. वसूली-अधि-ब्रिस्क-संविसं-2009.—मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 (क्रमांक 1 सन् 1988) की धारा 2 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित निगमों को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, निगम के रूप में अधिघोषित करती है, अर्थात् :-

1. मध्यप्रदेश वित्त निगम
2. मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम
3. मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पल्लवी जैन गोविल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्र. वसूली-अधि-ब्रिस्क-संविसं-2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 (क्रमांक 1 सन् 1988) के प्रावधान अन्तर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक वसूली-अधि-ब्रिस्क-संविसं-2009, दिनांक 29 जनवरी 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पल्लवी जैन गोविल, अपर सचिव.

Bhopal the 29th January 2009

No. Rec-Act-BRISC-DIF-2009.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Section 2 of the Madhya Pradesh Lok Dhan (Shodhya Rashiyan Ki Vasuli) Adhiniyam, 1987 (No. 1 of 1988), the State Government, hereby decalre the following Corporations as "Corporation" for the purpose of the said Act, namely:—

1. Madhya Pradesh Financial Corporation
2. Madhya Pradesh Adivasi Vitta Evam Vikas Nigam
3. Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation Ltd.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
PALLAVI JAIN GOVIL, Addl. Secy.